फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अजमेर

श्री लाल सिह व अन्य .... बनाम सरकार व अन्य ....

किस्म मुकदमा 212 नम्बर 82/2012......सन ....

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही श्री श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
13.08.2018	पत्रावली पेश हुई। वकिल प्रार्थी उपस्थित। राजकीय पेरोकार उपस्थित । राजकीय पेरोकार द्वारा पत्रावली पर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा वाद प्रस्तुति कि दिनांक के पश्चात न्यायालय आदेशिका दिनांक 21.8.2012,18.06.2013, 19.9.2013, 6.7.2016,28.4.2017, 27.7.2018 की पालना में आज दिवस तक प्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस तलबाना पेश नही किए गए है। जिस हेतु प्रार्थीगण द्वारा आदेशिका दिनांक 21.8.2012 के पश्चात लगभग पॉच वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने तथा लगभग कई अवसर प्राप्त किए जाने के उपरान्त भी न्यायालय आदेश दिनांक 21.8.2012, 18.06.2013, 19.9.2013, 6.7.2016,28.4.2017, 27.7.2018 की पालना नही कि गई है। जिस हेतु वादीगण को आदेशिका दिनांक 27.7.18, को पूर्व आदेश की पालना किए जाने हेतु निर्देशित किया गया । इसके बावजूद भी प्रार्थीगण द्वारा आज दिवस तक न्यायालय आदेश की पालना नही की गई है जिसे न्यायालय आदेशो की अदम पालना में निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया । हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे राजकीय पेरोकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होकर न्यायालय आदेश दिनांक 21.8.12 की प्रभावी आदेशिका दिनांक 27.7.2018 के बावजूद कई अवसर प्राप्त किए जाने एवं पॉच वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी पालना नही की गई है। जिससे प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता की उक्त प्रार्थना पत्र को चलाए जाने में किसी प्रकार की कोई रूचि प्रकृट होना प्रतीत होती है इस प्रकार कानूनी प्रावधानो के तहत उभय पक्षकार अपने हक अधिकारो के प्रति सजग नही रहता है उसकी न्यायालय की किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नही कर सकता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायालय आदेशो की अदम पालना में निरस्त कर खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । उपखण्ड अधिकारी उप खण्ड अधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner